



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

128-2026/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 21, 2026 (SRAVANA 30, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 21st August, 2026

No. 13-HLA of 2026/ 99 /14413.— The Haryana Baba Shree Khatu Shyam Chulkana Dham Shrine Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 13- HLA of 2026

A

BILL

*to provide for the better management, administration and governance to
Baba Shree Khatu Shyam Chulkana Dham Shrine and its endowments including the
lands and buildings attached or appurtenant to the Shrine.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

- 1.** (1) This Act may be called the Haryana Baba Shree Khatu Shyam Chulkana Dham Shrine Act, 2026. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2.** In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Board” means Baba Shree Khatu Shyam Shrine Board, Chulkana Dham constituted under section 4 of this Act;
 - (b) “endowment” means all property, movable or immovable, belonging to or given or endowed for the maintenance, improvement, additions to, or worship in the Shrine or for the performance of any service or charity, connected therewith and includes the idols installed therein, the premises of the Shrine and gifts of property made to anyone within the precincts of the Shrine and lands and buildings attached, or appurtenant thereto;
 - (c) “Government” means the Government of the State of Haryana;

- (d) “math” means a math as understood under Hindu law;
- (e) “member” means member of the Board constituted under section 4 and includes a member-secretary, Vice-Chairman and Chairman professing Hindu religion, in case Chairman, Vice-Chairman and member-secretary happens to be non-Hindu, the Government may appoint another member in his place professing Hindu religion;
- (f) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (g) “Pujari” means pujari and includes pandits and purohits or such other person who perform or conduct puja or other rituals;
- (h) “Shrine” means the Shrine of Baba Shree Khatu Shyam Chulkana Dham and all temples, math and idols within the premises of Baba Shree Khatu Shyam Shrine Chulkana Dham and endowments attached thereto, established with a religious object for a public purpose and includes,-
 - (i) all properties movable or immovable belonging to or given or endowed for worship and maintenance or improvement or addition to, temple, for the performance of any service or charity connected therewith; and
 - (ii) the idols installed in the temple, clothes, ornaments and things for decoration etc.
- (i) “Shrine fund” means and includes all sums received by or on behalf of, or for the time being held for the benefit of the Shrine, and also includes all the endowments which have been or may hereafter be made for the benefit of the Shrine or any other deity thereof in the name of any person, or for the convenience, comfort or benefit of the pilgrims thereto, as well as all offerings made to any of the deities existing in the Shrine;
- (j) “temple” means a place, by whatever designation known used as a place of public religious worship, and dedicated to, or for the benefit of, or used as of right by, the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship.

Vesting of Shrine fund.

3. The ownership of the Shrine and Shrine fund, from the commencement of this Act, shall vest in the Board and the Board shall be entitled to its possession, administration and use for the purposes of this Act.

Constitution of Board.

4. (1) The administration, management and governance of the Shrine shall vest in a Board consisting of a Chairman, Vice-Chairman and not more than eleven members. The composition of the Board shall be as follows:-

- (a) Chief Minister, Haryana shall be the Chairman;
- (b) Minister-in-Charge, Urban Local Bodies Department, Haryana shall be Vice-Chairman;
- (c) Administrative Secretary, Urban Local Bodies Department shall be the ex-officio member;
- (d) Deputy Commissioner, Panipat shall be the ex-officio member-secretary;
- (e) Seven persons to be nominated by the Government as members, in the following manner:-
 - (i) two persons, who in the opinion of the Government, have distinguished themselves in the service of Hindu religion or culture;
 - (ii) two women, who in the opinion of the Government, have distinguished themselves in the service of Hindu religion, culture or social work, especially in regard to advancement of women;
 - (iii) two persons, who in the opinion of the Government, have distinguished themselves in administration, legal affairs or financial matters;
 - (iv) one eminent Hindu of the State of Haryana:

Provided that one representative of Shri Shyam Mandir Sewa Samiti Registered Chulkana Dham shall be nominated as member from amongst the above nominated members.

(2) A person shall not be eligible for being nominated as a member, or for being a member of the Board, if he suffers or incurs any of the disqualification as specified in section 8 of this Act.

5. The Shrine fund shall be applied for –

Defraying of Shrine fund.

- (a) defraying expenses for the proper maintenance of the temple, performance of puja and other rituals;
- (b) providing amenities, facilities to the visiting devotees;
- (c) establishment and maintenance of the educational institutions;
- (d) training of vidyarthies; and
- (e) securing the health, safety and convenience of disciples, pilgrims and worshippers visiting the Shrine.

6. The Board shall be a body corporate and shall have perpetual succession and a common seal and may by the said name sue and be sued.

Incorporation of Board.

7. A nominated member of the Board shall hold office during the pleasure of the Government: Provided that his term of office shall not exceed three years from the date of his nomination under section 4.

Terms of office of nominated member.

8. A person shall be disqualified for being nominated as a member of the Board, if he, –

Disqualifications for membership of Board.

- (a) is not a Hindu;
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) is an undischarged insolvent;
- (d) is appearing as a legal practitioner against the Board;
- (e) is sentenced by criminal court for an offence involving moral turpitude, such sentence not having been reversed;
- (f) is an office holder or servant attached to the Board;
- (g) has been guilty of corruption or misconduct in the administration of the Shrine;
- (h) is addicted to intoxicating liquors or drugs; and
- (i) in the opinion of the Government, has acted against the interest of the Shrine.

9. (1) If in the opinion of the Government, the Board is not competent to perform or persistently makes default in performing the duties imposed on it under this Act or exceeds or abuses its powers, the Government may, after due inquiry and after giving the Board a reasonable opportunity of being heard, by order, dissolve or supersede the Board and reconstitute another Board in accordance with the Act.

Dissolution and supersession of Board.

(2) Where a Board is dissolved or superseded under this section, the Government shall assume all the powers and perform all the functions and exercise all the powers of the Board for a period not exceeding three months or until the constitution of another Board, whichever is earlier.

10. (1) Casual vacancy of a member shall be filled in the same manner as provided in section 4.

Filling up of vacancies.

(2) The term of a member nominated to fill a casual vacancy shall expire on the day on which the term of the member in whose vacancy the nomination has been made would have expired.

(3) Nothing done by the Board shall be invalid only by the reason of there being a casual vacancy.

Resignation.	11. Any nominated member may resign from his office as member by giving notice in writing to the Chairman and his office shall become vacant from the date of acceptance of his resignation by the Government.
Office and meetings of Board.	12. (1) The Board shall maintain its office at such place, as it may decide. (2) In every meeting of the Board, the Chairman or in his absence, Vice Chairman shall preside. (3) No business shall be transacted at any meeting unless at least five members are present. (4) Every decision of the Board shall, except as expressly provided by this Act, be taken by a majority of votes and in case of equality of votes, the person presiding shall have a second or casting vote.
Appointment of officers and officials of Board.	13. (1) For the efficient discharge of the duties assigned to it under this Act, the Board may appoint such other officers and officials as it considers necessary with such designations, pay, allowances and other remunerations and perquisites as the Board may determine, from time to time: Provided that Sub Divisional Officer (Civil), Samalkha and Block Development and Panchayat Officer, Samalkha shall be the Chief Executive Officer and the Executive Officer respectively of the Board. (2) The Chairman of the Board, subject to any rules made under this Act, shall have the power to transfer, suspend, remove or dismiss any officer or official of the Board for the breach of discipline, carelessness, unfitness, neglect of duty or misconduct or for any other sufficient cause: Provided that where the officer or the official is a Government officer or official, he may be reverted to his parent cadre or department in the Government. (3) The terms and conditions of service of officers or officials of the Board shall be such, as may be prescribed.
Public servant.	14. The members, officers and officials of the Board shall, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any rules made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023).
Liability of member.	15. Every member of the Board shall be liable for the loss, waste or misapplication of the Shrine fund if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his willful act or omission while acting as member and a suit for compensation may be instituted against him by the Board.
Alienation of movable and immovable property.	16. Both moveable and immovable properties including jewellery, ornaments which have once been adorned on the idols or other valuable property of non-perishable nature forming part of the Shrine fund shall be transferred, exchanged, sold or disposed of with the previous sanction of the Government on the recommendations of the Board.
Power to borrow or lend.	17. No money shall be borrowed or lent except by a resolution of the Board and the approval of the Government.
Duties of Board.	18. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, it shall be the duty of the Board,— (i) to arrange for the proper performance of worship at the Shrine; (ii) to provide facilities for the proper performance of worship by the pilgrims; (iii) to make arrangements for the safe custody and preservation of the Shrine fund, valuable security and jewellery; (iv) to undertake for the benefit of worshippers and pilgrims— (a) the construction of buildings for their accommodation; (b) the construction of sanitary work; and (c) the improvement of means of communication;

- (v) to undertake the developmental activities concerning the area of the Shrine and its surroundings;
- (vi) to make suitable arrangements for imparting of religious instructions and general education;
- (vii) to make provision of medical relief for worshippers and pilgrims;
- (viii) to make provision for the payment of suitable emoluments to the salaried staff;
- (ix) to do all such things as may be incidental and conducive to the efficient management, maintenance and administration of the Shrine and the Shrine fund as well as the convenience of the pilgrims.

19. (1) All the rights of Pujaris shall stand extinguished from the date of commencement of this Act:

Rights of Pujari and terms and conditions of existing employees and other persons.

Provided that the Government may appoint a Tribunal consisting of one or more persons in such manner, as may be prescribed, which, after giving personal hearing to the Pujaris and the representatives of the Board, shall recommend compensation to be paid by the Board, in lieu of extinction of their rights. While making its recommendations to the Board, the Tribunal shall have due regard to the income which the Pujaris had been deriving:

Provided further that where a Pujari surrenders his right to compensation and offers himself for employment to the Board, the Board shall cause his suitability for such employment to be adjudged and may offer him employment in case he is found suitable by the selection committee to be appointed for the purpose subject to the Pujari giving an undertaking to abide by the administrative and disciplinary control of the Board in accordance with the rules made under this Act.

(2) All such employees of the Shrine as are engaged on any function connected with the Shrine shall, unless they exercise an option to the contrary, be deemed to have become the employees of the Board on the commencement of this Act and shall be subject to the administrative and disciplinary control of the Board. Their terms and conditions of service shall be regulated by the rules made under this Act and shall receive such remuneration, which shall, as far as practicable not be inferior than the present level of remuneration and other terms and conditions of their service.

(3) The shopkeepers and other lease holders, who are the tenants of the Shrine in the area referred to in this Act shall become the tenants of the Board.

20. (1) The Board or the officer authorised by it, shall appoint Pujaris of the Shrine and while making such appointment, shall have due regard to the claims of persons belonging to the religious denomination for whose benefit the Shrine is mainly maintained.

Appointment, tenure and others terms and conditions of Pujari.

(2) A Pujari shall hold office for a term of five years, unless in the meanwhile he is removed or dismissed or his resignation is accepted by the Board or the officer authorised by it or he otherwise ceases to be a Pujari.

(3) A Pujari shall be eligible for re-appointment.

(4) When a permanent vacancy occurs in the office of the Pujari of the Shrine, the Pujari shall be appointed by the Board or by an officer authorised by it.

(5) When temporary vacancy occurs in such an office by reason of the suspension of a Pujari, a Pujari in his place shall be appointed by the Board or the officer authorised by it to discharge the functions of the Pujari until his disability ceases.

21. (1) The Board or the officer authorised by it may suspend, remove or dismiss the Pujari for,—

Power to suspend, remove or dismiss.

- (a) willful disobedience of any order issued under the provisions of this Act;
- (b) any malfeasance, misfeasance, breach of trust or neglect of duty in respect of the Shrine or alienation of any property in contravention of this Act;
- (c) any misappropriation of, or improper dealing with the properties of the Shrine;

- (d) having been found under the influence of intoxication liquor or drugs in the Shrine; and
- (e) unsoundness of mind or other mental or physical defect or infirmity which renders him unfit for discharging the functions of a Pujari:

Provided that no Pujari shall be removed or dismissed by the Board or the officer authorised by it under this section unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) A Pujari who is suspended, removed or dismissed by the Board or the officer authorised by it under sub-section (1), may within one month from the date of receipt of the order of suspension, removal or dismissal, prefer an appeal to such authority and in such manner, as may be prescribed.

(3) A Pujari so suspended, removed or dismissed may be allowed such maintenance, as may be fixed by the Board or the officer authorised by it, considering the financial condition of the Shrine.

Disqualifications of Pujari.

22. A person shall be disqualified for being appointed as, and for continuing to be a Pujari, if he,-

- (a) is an un-discharged insolvent;
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) is interested either directly or indirectly in a subsisting lease or any property of or contract made with, or any work being done for, the Shrine or is in arrears of any dues payable to the Shrine;
- (d) is appearing as a legal practitioner on behalf of or against the Shrine;
- (e) has been sentenced by a criminal court for an offence involving moral turpitude and such sentence has not been reversed;
- (f) has acted adversely to the interest of the Shrine;
- (g) is an addict to intoxicating liquors or drugs;
- (h) has not completed twenty-one years of age; and
- (i) ceases to profess Hindu religion or persuasion or ceases to belong to the religious denominations to which the Shrine pertains.

Preparation and maintenance of register.

23. (1) A register shall be prepared and maintained, in such form and manner, as may be prescribed to show,-

- (a) the origin and history of the Shrine and particulars as to the custom or usage of the Shrine;
- (b) particulars of the scheme of administration and of the scale of expenditure;
- (c) the name of all officers and officials to whom any salary, emolument or perquisite is attached and the nature, time and conditions of service in each case;
- (d) the money, jewellery, jewels, gold, silver, precious stones, vessels and utensils and other movable belongings of the Shrine, with their weights, details of the constituent elements and estimated value thereof;
- (e) particulars of immovable properties and all other endowments of the Shrine and all title deeds and other documents;
- (f) particulars of details of constituent elements and colored photographs of the idols and other images in or connected with the Shrine, whether intended for worship or for being carried in processions;
- (g) particulars of ancient or historical records with their contents in brief; and
- (h) such other particulars, as may be required by the Board.

(2) The register shall be prepared, signed and verified by the Chief Executive Officer or an officer authorised by the Board within three months from the date of the notice served upon him by the member-secretary in this behalf or within such further period, as may be allowed by the member-secretary.

(3) The Board may, after such inquiry, as it may consider necessary, recommend and direct the Chief Executive Officer or officer authorised by the Board to carry out such alternations, omissions or additions in the register, as the Board may think fit.

(4) The Chief Executive Officer or officer authorised by the Board shall carry out the directions of the Board and submit the register to the Board for approval within a period of three months from the date of the order.

24. (1) The Chief Executive Officer or any officer authorised by the Board shall scrutinize the entries in the register every year or at such interval of times, as may be prescribed and submit the same to the Board through the member-secretary for its approval.

Annual verification of register.

(2) The Board may, thereupon, after such inquiry, as it may consider necessary, direct the alternations, omissions or additions, if any, to be made in the register.

(3) The Chief Executive Officer or any officer authorised by the Board shall carry out the alterations, omissions or additions ordered by the Board in the copy of the register kept by him, within three months from the date of the order.

25. (1) The member-secretary of the Board or any officer authorised in that behalf by the Board or the Government, may inspect all movable or immovable properties belonging to, and all records, correspondence, plans, accounts and other documents relating to the Shrine and it shall be the duty of all officers and officials working under him and any person having concern in the administration thereof to afford all such assistance and facilities, as may be necessary or reasonably required in regard to such inspection and also to produce any such movable property or document for inspection, if so required.

Inspection of property and documents.

(2) For the purposes of inspection as aforesaid, the inspecting authority shall, subject to the local practice, custom or usage, have power to enter at any reasonable hour the premises of the Shrine.

(3) Nothing in this section shall be deemed to authorize any person to enter the premises or place referred to in sub-section (2) or any part thereof unless such person professes the religion to which the premises or place belongs.

26. Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the registering authority shall not accept for registration any deed or alienation of immovable property belonging to the Shrine unless a certified copy of the order made under section 16 sanctioning such alienation is filed along with the deed.

Restriction on registration of documents.

27. (1) Whenever it comes to the notice of the Board that any immovable property belonging to the Shrine has been alienated in contravention of the Act, it shall refer the matter to the Government.

Recovery of immovable property unlawfully alienated.

(2) Upon receipt of a reference made under sub-section (1), the Government shall hold a summary inquiry in such manner, as may be prescribed and on being satisfied that any such property has been so alienated, shall proceed in accordance with law.

28. (1) The provisions contained in the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1972 (24 of 1972), shall be applicable as far as may be, in respect of unauthorised occupation of any land or premises belonging to the Shrine, as if it were the property of Government, within the meaning of that Act.

Removal of encroachment of land and premises belonging to Shrine.

(2) The member-secretary of the Board may make an application for taking up appropriate proceedings under the Act referred to in sub-section (1) to the authority competent thereunder and thereupon it shall be lawful for such authority to take action in accordance with the provisions of that Act.

Power to act for
protection of
Shrine.

- 29.** (1) Where the Board has reason to believe that –
- (a) any property belonging to the Shrine is in danger of being wasted, damaged or improperly alienated by any person; or
 - (b) such person threatens or intends to remove or dispose of that property,
- the member-secretary of the Board may, for the purpose of staying and preventing the wastage, damage, alienation, sale, removal or disposition of such property, proceed in accordance with law.

Budget of Shrine.

- 30.** (1) The member-secretary of the Board shall, before the end of December each year, submit to such authority, in such form and manner, as may be prescribed, a budget showing the probable receipts and disbursement of the Shrine during the following financial year.
- (2) Every such budget shall make adequate provision for-
- (a) the scale of expenditure for the time being in force and customary expenditure;
 - (b) the due discharge of all liabilities binding on the Shrine;
 - (c) the expenditure on religious, educational and charitable purposes not inconsistent with the objects of the Shrine;
 - (d) the encouragement and the spread of religious instructions according to the tenets of the Shrine;
 - (e) the expenditure on the repairs and renovation of the buildings and preservation and protection of the properties and assets of the Shrine.
- (3) The Board may, on receipt of the budget, make such alterations, omissions or additions therein, as it may deem proper.
- (4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom, usage or practice to the contrary, the provisions made for remuneration of any office holder or for any other item of expenditure in respect of the Shrine may be increased, decreased or modified by the Board if such increase, decrease or modification is considered necessary in view of the financial condition and the interest of the Shrine.

Accounts.

- 31.** (1) The officer authorised by the Board shall maintain regular accounts of all receipts and disbursements. Such accounts shall be kept for each calendar year separately in such form and shall contain such particulars, as may be prescribed.
- (2) The accounts of the Shrine shall be audited annually by a person who is a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act 38 of 1949) or by such other person, as may be authorised by the Government in this behalf.
- (3) Every auditor conducting the audit under sub-section (2) shall have access to the accounts and to all books, vouchers, other documents and records in possession of or under the control of the officer authorised by the Board.

Penalty.

- 32.** If any Pujari, officer, official or any other person concerned with the administration of the Shrine-
- (a) refuses or willfully fails to comply with the provisions of this Act or the rules framed thereunder or the orders and directions issued thereunder or obstructs any proceeding taken under this Act or the rules framed thereunder; or
 - (b) refuses or willfully fails to furnish any reports, statements, accounts or other information called for under this Act,
- the Board or any officer authorised by the Board may file a complaint against the Pujari, officer, official or any other person and he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months and with fine which may extend to one thousand rupees.

33. Any person who-

Penalty for wrongful withholding of property belonging to Shrine.

- (a) is having possession, custody or control of any property, document or books of accounts belonging to the Shrine, the management and control of which has been regulated under the provisions of this Act or the rules framed thereunder, wrongfully withholds such property or documents or books of accounts from the Board or any other person duly authorised by the Government or the Board to inspect or call for the same;
- (b) wrongfully obtains possession of, or retains any property, document or books of accounts of the Boards or willfully withholds or fails to furnish or deliver to the Board or any other person authorised by it in this behalf; or
- (c) wrongfully removes, destroys or mutilates property, documents or books of accounts of the Shrine,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

34. (1) No officer or official of the Government shall be liable in any civil or criminal proceeding in respect of any act done or purporting to have been done under this Act or the rules made thereunder, if the act has been done in good faith and in the course of execution of the duties imposed or in discharge of the functions assigned by or under this Act or the rules framed thereunder.

Protection of action taken in good faith.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Act or by anything done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

35. The Government may, from time to time, give such general or specific directions, in writing, to the Board for the effective implementation of the provisions of this Act and while so doing may rescind, alter or modify any order made by the Board and the Board shall follow them in the discharge of its duties.

Power to give directions.

36. The Government may, either suo motu or on an application moved by any person considering himself aggrieved from any order or decision of the Board made under this Act, review such order or decision and make such order thereon, as it thinks fit:

Power of Government to review.

Provided that before any order is made under this section, the Government shall afford any person likely to be affected adversely by such order, an opportunity of being heard.

37. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it necessary or expedient for removing the difficulty:

Powers to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it issued, before the State Legislature.

38. Save as expressly provided in this Act, no civil court shall have jurisdiction to entertain or adjudicate upon any dispute or matter which is to be decided by any officer or authority under this Act and in respect of which the decision or order of such officer or authority has been made final and conclusive.

Bar of jurisdiction.

39. (1) The Government may, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for—

- (a) terms and conditions of service of the employees of the Shrine under sections 13 and 19;

- (b) constitution of Tribunal under section 19;
 - (c) the authority to which and the manner in which appeal is to be preferred under section 21;
 - (d) the form and manner in which the registers are to be maintained under section 23;
 - (e) the scrutiny of the entries in the register under section 24;
 - (f) the manner in which inquiry is to be conducted under section 27;
 - (g) the authority to which, the form and manner in which the budget is to be prepared and submitted under section 30;
 - (h) the form of statements, returns and other forms required to be maintained by or under this Act and the manner in which these are to be maintained;
 - (i) the returns, accounts or other information to be submitted by the officer authorised by the Board;
 - (j) the preservation, maintenance, management and improvements of the properties and buildings of the Shrine;
 - (k) the preservation of idols and images in Shrine; and
 - (l) any other matter which is to be or may be prescribed under this Act.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

Certain enactments
to cease to apply to
Shrine.

40. From the date of commencement of this Act, the provisions of any other law which might be applicable to the Shrine, shall cease to apply thereto:

Provided that such cessation shall not in any way affect—

- (a) any right, title, interest, obligation or liability already acquired, accrued or incurred;
- (b) any legal proceedings for any remedy in respect of such right, title, interest, obligation or liability, instituted; or
- (c) anything duly done or suffered.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Shree Shyam Baba Mandir (Dham) situated in the revenue estate of village Chulkana, Samalkha, district Panipat is one of the ancient historical temple which is very sacred to a large number of devotees/pilgrims from all over the Haryana and neighbouring States to pay their obeisance to the deity for happiness and prosperity. The said Dham is famous for the temple of Shree Khatu Shyam Ji (Shri Barbarika in ancient history of Mahabharata) who is being worshipped as the God of Kaliyuga as per Hindu traditions.

In order to provide better management, administration and governance of Baba Shree Khatu Shyam Chulkana Dham Shrine and its endowments including the lands and buildings attached or appurtenant to the Shrine as also to provide better amenities and facilities to the visiting devotees as well as securing the health, safety and convenience of disciples, pilgrims and worshippers, it has been decided to enact The Haryana Baba Shree Khatu Shyam Chulkana Dham Shrine Bill, 2026. Hence, the Bill.

VIPUL GOEL,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 21st August, 2026

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 39 of the proposed Bill empowers the State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of a normal character. Hence, the memorandum regarding delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 13 एच.एल.ए.

हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक, 2026
 बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल और इसके
 विन्यासों के साथ-साथ पूजास्थल से संबद्ध या
 आनुषंगिक भूमियों और निर्माणों के बेहतर
 प्रबन्धन, प्रशासन और अभिशासन
 के लिए उपबन्ध
 करने हेतु
 विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल अधिनियम, 2026 संक्षिप्त नाम तथा
 कहा जा सकता है। प्रारम्भ।
 (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।
 - (क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित बाबा श्री खाटू श्याम पूजास्थल बोर्ड, चुलकाना धाम;
 - (ख) "विन्यास" से अभिप्राय है, पूजास्थल के रख-रखाव, सुधार, परिवर्धन के लिए, या में पूजार्थ या उससे संबंधित किसी सेवार्थ या धर्मार्थ अनुष्ठान के लिए दी गई या दान की गई चल या अचल समस्त सम्पत्ति, और इसमें पूजास्थल में स्थापित मूर्तियां, पूजास्थल के परिसर और पूजास्थल के अहाते के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया सम्पत्ति-दान और उससे सद्घ, या आनुषंगिक भूमि और निर्माण भी शामिल हैं;
 - (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (घ) "मठ" से अभिप्राय है, हिन्दू विधि के अधीन समझ जाने वाला मठ;
 - (ङ.) "सदस्य" से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित बोर्ड का सदस्य और इसमें हिन्दू धर्म को मानने वाला सदस्य-सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी शामिल है, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव गैर-हिन्दू हैं, तो सरकार उसके स्थान पर हिन्दू धर्म को मानने वाले किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कर सकती है;
 - (च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
 - (छ) "पुजारी" से अभिप्राय है, पुजारी और इसमें शामिल हैं पंडित और पुरोहित या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो पूजा या अन्य अनुष्ठान करता है या आयोजित करवाता है;
 - (ज) "पूजास्थल" से अभिप्राय है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए धार्मिक उद्देश्य से स्थापित बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम का पूजास्थल और बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम के परिसरों के भीतर सभी मन्दिर, मठ और मूर्तियां और इससे संबद्ध विन्यास और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं,-
 - (i) मन्दिर से सम्बन्धित या में पूजा और रख-रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए, उससे संबद्ध किसी सेवार्थ या धर्मार्थ अनुष्ठान के लिए दी हुई या दान की गई चल या अचल समस्त सम्पत्तियां; और
 - (ii) मन्दिर में स्थापित मूर्तियां, सजावट इत्यादि के लिए वस्त्र, आभूषण तथा अन्य वस्तुएं;

- (झ) “पूजास्थल निधि” से अभिप्राय है और इसमें शामिल है, पूजास्थल के हित के लिए उस द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई या तत्समय धारित सभी धनराशियाँ, और सभी विन्यास, जो पूजास्थल के हित या किसी व्यक्ति के नाम से वहाँ के किसी अन्य देवी-देवता के लिए, या वहाँ पर आने वाले तीर्थ-यात्रियों की सुविधा, आराम या हित के लिए दिए गए हैं या इसके बाद दिए जा सकते हैं, इसमें पूजास्थल में स्थित किसी भी देवी-देवता को अर्पित समस्त चढ़ावा भी शामिल है;
- (ज) “मन्दिर” से अभिप्राय है, किसी भी नाम से ज्ञात कोई स्थान, जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग को समर्पित है, या उसके हित के लिए, या अधिकार स्वरूप उपयोग किया जाता है।

पूजास्थल निधि का निहित होना।

3. इस अधिनियम के प्रारम्भ से, पूजास्थल तथा पूजास्थल निधि का स्वामित्व बोर्ड में निहित होगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड उसका कब्जा लेने, प्रशासन करने और उपयोग करने का हकदार होगा।

बोर्ड का गठन।

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ग्यारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले बोर्ड में पूजास्थल का प्रशासन, प्रबन्धन और अभिशासन निहित होगा। बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होगी:-

- (क) मुख्य मन्त्री, हरियाणा, अध्यक्ष होगा;
- (ख) कार्यभारी मन्त्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, उपाध्यक्ष होगा;
- (ग) प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पदेन सदस्य होगा;
- (घ) उपायुक्त, पानीपत, पदेन सदस्य-सचिव होगा;
- (ङ.) सरकार द्वारा, निम्नलिखित रीति में, सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सात व्यक्ति:-
- (i) ऐसे दो व्यक्ति, जिन्होंने सरकार की राय में, हिन्दू धर्म या संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो ;
- (ii) ऐसी दो महिलाएं, जिन्होंने सरकार की राय में, विशेषकर महिलाओं की उन्नति के सम्बन्ध में हिन्दू धर्म, संस्कृति या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो ;
- (iii) ऐसे दो व्यक्ति, जिन्होंने सरकार की राय में, प्रशासन, विधिक कार्यकलापों या वित्तीय मामलों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो ;
- (iv) हरियाणा राज्य का एक प्रतिष्ठित हिन्दू;

परन्तु श्री श्याम मंदिर सेवा समिति पंजीकृत चुलकाना धाम के एक प्रतिनिधि को उपरोक्त नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

- (2) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए या सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह इस अधिनियम की धारा 8 में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त है या प्रभावित है।

पूजास्थल की निधियों से व्ययों का भुगतान।

5. पूजास्थल निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगा,-

- (क) मन्दिर के उचित रख-रखाव, पूजा तथा अन्य अनुष्ठान करने के लिए व्यय के भुगतान;
- (ख) दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं को सुखसाधन, सुविधाएं उपलब्ध करवाने में;
- (ग) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और रख-रखाव करने में;

- (घ) विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में; और
- (ड.) पूजास्थल में दर्शनार्थ आए अनुयायियों, तीर्थ-यात्रियों और उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने में।
6. बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और यह बोर्ड का निगमन।
उक्त नाम से वाद कर सकेगा और उस पर वाद किया जा सकेगा।
7. बोर्ड का नामनिर्दिष्ट सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा: नामनिर्दिष्ट सदस्य
परन्तु उसकी पदावधि, धारा 4 के अधीन उसके नामनिर्देशन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। की पदावधि।
8. किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निम्नलिखित कारणों से अयोग्य ठहराया जाएगा, यदि वह,- बोर्ड की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।
- (क) हिन्दू नहीं है;
- (ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;
- (ग) अनुन्मोचित दिवालिया है;
- (घ) बोर्ड के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में पेश हो रहा है;
- (ड.) किसी दांडिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सजा दी गई है, ऐसी सजा को उलटाया नहीं गया है;
- (च) बोर्ड का पदधारी है या सेवक है;
- (छ) पूजास्थल के प्रशासन में भ्रष्टाचार या कदाचार का दोषी पाया गया है;
- (ज) नशीली शराब या मादक द्रव्यों का आदी है; और
- (झ) उसने सरकार की राय में, पूजास्थल के हितों के विरुद्ध कार्य किया है।
9. (1) यदि सरकार की राय में, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या कर्तव्यों के पालन में लगातार चूक करता है या अपनी शक्तियों का अतिलंघन या गलत प्रयोग करता है, तो सरकार, सम्यक् जांच करने के बाद और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, बोर्ड का विघटन या अधिक्रमण कर सकती है और इस अधिनियम के अनुसार एक अन्य बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है। बोर्ड का विघटन और अधिक्रमण।
- (2) जहां इस धारा के अधीन बोर्ड विघटित या अधिक्रान्त किया गया है, तो सरकार सभी शक्तियां धारण करेगी और तीन मास से अनधिक अवधि के लिए या अन्य बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, बोर्ड के सभी कृत्यों का निर्वहन और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
10. (1) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति, धारा 4 में यथा उपबंधित समरूप रीति में भरी जाएगी। रिक्तियों का भरा जाना।
- (2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस दिन को समाप्त होगी, जिस दिन उस सदस्य, जिसकी रिक्ति में नामनिर्देशन किया गया है, की पदावधि समाप्त होनी थी।
- (3) बोर्ड द्वारा की गई कोई भी बात, केवल किसी आकस्मिक रिक्ति के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।
11. कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देते हुए सदस्य के रूप में अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और सरकार द्वारा उसके त्याग-पत्र की स्वीकृति की तिथि से उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्याग-पत्र।

- बोर्ड का कार्यालय और बैठकें।
12. (1) बोर्ड अपना कार्यालय ऐसे स्थान पर बनाएगा, जैसा वह विनिश्चित करे।
- (2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
- (3) किसी बैठक में तब तक कोई भी कारबार संव्यवहारित नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों।
- (4) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, बोर्ड का प्रत्येक निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाएगा और मतों की बराबरी के मामले में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।
- बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।
13. (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को सौंपे गए कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए, बोर्ड ऐसे पदनामों, वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक तथा अनुलाभों, जो बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे, के साथ ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे:
- परन्तु उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), समालखा तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, समालखा, बोर्ड का क्रमशः मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी होगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अनुशासन भंग करने, लापरवाही, अनुपयुक्तता, कर्तव्य की उपेक्षा या कदाचार या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्थानान्तरित करने, निलंबित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति होगी:
- परन्तु जहां अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, तो उसे उसके मूल संवर्ग या विभाग में वापस भेजा जा सकता है।
- (3) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
- लोक सेवक।
14. बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखने के दौरान, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।
- सदस्य का दायित्व।
15. बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, पूजास्थल निधि की हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग के लिए दायी होगा, यदि ऐसी हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग, सदस्य के रूप में कार्य करते हुए उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कृत्य या चूक का प्रत्यक्ष परिणाम है, और बोर्ड द्वारा उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है।
- चल तथा अचल संपत्ति का हस्तांतरण।
16. चल तथा अचल दोनों सम्पत्तियों और जेवर, आभूषणों, जो कभी मूर्तियों पर सुशोभित रहे हैं या पूजास्थल निधि का भाग बनने वाली किसी अविनश्वर कृति की अन्य बहुमूल्य संपत्ति का बोर्ड की सिफारिशों पर, सरकार की पूर्व स्वीकृति से हस्तांतरण, विनिमय, विक्रय या निपटान किया जाएगा।
- उधार लेने या देने की शक्ति।
17. बोर्ड के संकल्प और सरकार के अनुमोदन के सिवाय, कोई भी धनराशि उधार नहीं ली या दी जाएगी।
- बोर्ड के कर्तव्य।
18. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यक्ष, बोर्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,-
- (i) पूजास्थल में उचित रूप से पूजा करने की व्यवस्था करना;
- (ii) तीर्थ-यात्रियों को उचित रूप से पूजा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

- (iii) पूजास्थल निधियों, बहुमूल्य प्रतिभूतियों और जेवरों की सुरक्षित अभिरक्षा और परिरक्षण करने की व्यवस्था करना;
- (iv) उपासकों और तीर्थ-यात्रियों के लाभ के लिए निम्नलिखित कार्य करना-
 - (क) उनके आवास हेतु भवनों का निर्माण;
 - (ख) स्वास्थ्यकर संकर्मों का निर्माण; तथा
 - (ग) संचार साधनों में सुधार;
- (v) पूजास्थल और उसके इर्द-गिर्द के क्षेत्र से सम्बन्धित विकासात्मक कार्यकलाप करवाना;
- (vi) धार्मिक शिक्षण और सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (vii) उपासकों और तीर्थ-यात्रियों के लिए चिकित्सा राहत की व्यवस्था करना;
- (viii) वैतनिक अमलें को उपयुक्त परिलाभों के भुगतान के लिए उपबन्ध करना;
- (ix) ऐसी सभी बातें करना, जो पूजास्थल तथा पूजास्थल निधि के साथ-साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधा के दक्ष प्रबन्धन, रख-रखाव और प्रशासन से आनुषंगिक और उसमें सहायक हों।

19. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पुजारी के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे:

पुजारी के अधिकार तथा वर्तमान कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के निबंधन तथा शर्तें।

परन्तु सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले किसी अधिकरण का ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में गठन कर सकती है, जो पुजारियों और बोर्ड के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप में सुनने के पश्चात्, उनके अधिकारों के निर्वापण के बदले में बोर्ड द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर की सिफारिशें करेगा। अधिकरण, बोर्ड को अपनी सिफारिशें करते समय, ऐसी आय, जो पुजारी प्राप्त करता था, का सम्यक् ध्यान रखेगा:

परन्तु यह और कि जहां कोई पुजारी प्रतिकर का अपना अधिकार छोड़ देता है और बोर्ड में स्वयं को नियोजन के लिए पेश करता है, तो बोर्ड ऐसे नियोजन के लिए उसकी उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन करेगा और यदि वह इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे ऐसे नियोजन की पेशकश कर सकता है, बशर्ते पुजारी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अनुपालन की वचनबद्धता देवे।

(2) पूजास्थल के सभी ऐसे कर्मचारी, जो पूजास्थल से सम्बद्ध किसी कार्य पर लगाए जाते हैं, जब तक वे इसके प्रतिकूल किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करते, इस अधिनियम के प्रारम्भ से बोर्ड के कर्मचारी बने हुए समझे जाएंगे और बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाएंगी तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो यथासाध्य उनकी सेवा के पारिश्रमिक तथा अन्य निबंधन और शर्तों के वर्तमान स्तर से कम नहीं होगा।

(3) दुकानदार तथा अन्य पट्टा धारक, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्र में पूजास्थल के किराएदार हैं, बोर्ड के किराएदार बन जाएंगे।

20. (1) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पूजास्थल के पुजारियों की नियुक्ति करेगा और ऐसी नियुक्ति करते समय, धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के दावों का सम्यक् ध्यान रखेगा, जिनके हित के लिए मुख्य रूप से पूजास्थल बनाया गया है।

पुजारी की नियुक्ति, कार्यकाल और अन्य निबंधन तथा शर्तें।

(2) पुजारी पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक इस दौरान बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे हटा नहीं दिया जाता या पदच्युत नहीं कर दिया जाता या उसका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता या अन्यथा से वह पुजारी नहीं बना रहता।

(3) पुजारी पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) जब पूजास्थल के पुजारी के पद की कोई स्थाई रिक्ति हो जाती है, तो बोर्ड द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पुजारी नियुक्त किया जाएगा।

(5) जब किसी पुजारी के निलंबन के कारण ऐसे पद की कोई अस्थायी रिक्ति हो जाती है, तो बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुजारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसकी नियोग्यता समाप्त होने तक उसके स्थान पर, किसी अन्य पुजारी की नियुक्ति की जाएगी।

निलंबित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति।

21. (1) बोर्ड या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पुजारी को निम्नलिखित आधारों पर निलंबित, हटा या पदच्युत कर सकता है,-

- (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा;
- (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में पूजास्थल या किसी संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किसी अपकरण, दुष्करण, विश्वास भंग या कर्तव्य की उपेक्षा;
- (ग) पूजास्थल की संपत्तियों के किसी दुर्विर्नियोग या अनुचित संव्यवहार;
- (घ) पूजास्थल में नशीली शराब या मादक द्रव्यों के नशे की हालत में पाए जाने; तथा
- (ङ.) चित्त-विकृति या अन्य मानसिक या शारीरिक त्रुटि या अशक्तता, जो उसे पुजारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अयोग्य बनाती है:

परन्तु किसी भी पुजारी को इस धारा के अधीन बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) कोई पुजारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निलंबित, हटाया या पदच्युत किया गया है, निलंबन, हटाने या पदच्युति के आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर, ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील दायर कर सकता है।

(3) इस प्रकार निलंबित, हटाए गए या पदच्युत किए गए किसी पुजारी को ऐसा भरण-पोषण अनुज्ञात किया जाएगा, जो पूजास्थल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत किया जाए।

पुजारी की अयोग्यताएं। **22.** ऐसा व्यक्ति पुजारी के रूप में नियुक्त किए जाने और बने रहने के लिए अयोग्य होगा,-

- (क) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
- (ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;
- (ग) यदि वह पूजास्थल के किसी अस्तित्वयुक्त पट्टे या किसी संपत्ति में या उससे की गई संविदा, या किए जा रहे किसी कार्य में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हित रखता है या पूजास्थल को भुगतान योग्य किसी भी देय के बकायों का देनदार है;
- (घ) यदि वह पूजास्थल की ओर से या उसके विरुद्ध विधिक व्यवसायी के रूप में पेश हो रहा है;
- (ङ.) यदि वह दांडिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सजायाफ्ता है और ऐसी सजा को उलटाया नहीं गया है;
- (च) यदि उसने पूजास्थल के हित के प्रतिकूल कार्य किया है;
- (छ) यदि वह नशीली शराब और मादक द्रव्यों का आदी है;
- (ज) यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; तथा
- (झ) यदि वह हिन्दू धर्म या उस मान्यता को छोड़ देता है या उस धार्मिक संप्रदाय से संबंध तोड़ लेता है, जिससे पूजास्थल संबंध रखता है।

23. (1) रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में तैयार किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा,-

रजिस्टर तैयार करना और उसका रख-रखाव करना।

- (क) पूजास्थल के उद्गम तथा इतिहास और पूजास्थल के रीति-रिवाज या प्रथा के संबंध में ब्योरे;
- (ख) प्रशासन की योजना और व्यय के पैमाने के ब्योरे;
- (ग) उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, जिनसे कोई वेतन, परिलाभ या अनुलाभ संबद्ध है तथा प्रत्येक मामले में सेवा का स्वरूप, अवधि तथा शर्तें;
- (घ) पूजास्थल से संबंधित धनराशि, जेवर, रत्न, सोना, चांदी, कीमती नगीने, पात्र तथा बर्तन और अन्य चल संपत्ति और उनका वजन, संघटक तत्वों के विवरण तथा उनका अनुमानित मूल्य;
- (ङ.) पूजास्थल की अचल संपत्तियों तथा सभी अन्य विन्यासों के ब्योरे तथा सभी हक विलेख तथा अन्य दस्तावेज;
- (च) पूजास्थल में या उससे संबद्ध मूर्तियों तथा अन्य प्रतिमाओं के संघटक तत्वों तथा रंगीन चित्रों के विवरणों के ब्योरे, चाहे वे पूजा के लिए हों या शोभा यात्राओं में ले जाने के लिए आशयित हों;
- (छ) प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ उनकी संक्षिप्त विषय-वस्तु के ब्योरे; तथा
- (ज) ऐसे अन्य ब्योरे, जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित हों।

(2) सदस्य-सचिव द्वारा इस निमित्त नोटिस तामील करने की तिथि से तीन मास के भीतर अथवा ऐसी और अवधि, जो सदस्य-सचिव द्वारा अनुज्ञात की जाए, के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा रजिस्टर तैयार, हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा।

(3) बोर्ड, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को रजिस्टर में ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन करने के लिए सिफारिश कर सकता है और निर्देश दे सकता है, जो बोर्ड उचित समझे।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड के निर्देश को कार्यान्वित करेगा और आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर बोर्ड को अनुमोदन के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करेगा।

24. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रति वर्ष या ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, रजिस्टर की प्रविष्टियों की संवीक्षा करेगा, तथा उसे सदस्य-सचिव के माध्यम से बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

रजिस्टर का वार्षिक सत्यापन।

(2) बोर्ड उस पर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, रजिस्टर में परिवर्तन, लोप या परिवर्धन, यदि कोई हो, करने का निर्देश दे सकता है।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, बोर्ड द्वारा किए गए आदेश के अनुसार आदेश की तिथि से तीन मास के भीतर उस द्वारा रखी गई रजिस्टर की प्रति में परिवर्तन, लोप या परिवर्धन करेगा।

25. (1) बोर्ड का सदस्य-सचिव अथवा बोर्ड या सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पूजास्थल से संबंधित सभी चल या अचल संपत्तियों, और सभी अभिलेखों, पत्र-व्यवहार, योजनाओं, लेखों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उसके अधीन कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसके प्रशासन से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी सभी सहायता तथा सुविधाएं प्रदान करे, जो ऐसे निरीक्षण के संबंध में आवश्यक या समुचित रूप से अपेक्षित हों और यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो निरीक्षण के लिए कोई ऐसी चल संपत्ति या दस्तावेज भी प्रस्तुत करे।

संपत्ति तथा दस्तावेजों का निरीक्षण।

(2) यथा पूर्वोक्त निरीक्षण के प्रयोजनों हेतु, निरीक्षण प्राधिकारी को स्थानीय परिपाटी, रिवाज या प्रथा के अध्यक्षीन पूजास्थल के परिसरों में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने की शक्ति होगी।

(3) इस धारा की किसी भी बात को उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसरों या स्थल या उसके किसी भाग में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाला नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति उस धर्म को नहीं मानता हो, जिससे परिसर या स्थल संबंधित है।

दस्तावेजों के
रजिस्ट्रीकरण पर
प्रतिबंध।

26. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पूजास्थल से संबंधित अचल संपत्ति के किसी भी विलेख या हस्तांतरण को तब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं करेगा जब तक विलेख के साथ धारा 16 के अधीन ऐसे हस्तांतरण को स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति साथ नहीं लगाई हो।

विधिविरुद्ध
हस्तांतरित अचल
संपत्ति की वसूली।

27. (1) जब कभी बोर्ड के ध्यान में यह आता है कि पूजास्थल से संबंधित कोई अचल सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हस्तांतरित की गई है, तो यह मामला सरकार को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए संदर्भ की प्राप्ति पर, सरकार ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संक्षिप्त जांच करेगी और संतुष्ट हो जाने पर कि कोई ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार हस्तांतरित की गई है, तो विधि के अनुसार कार्यवाही करेगी।

पूजास्थल से संबंधित
भूमि तथा परिसरों के
अतिक्रमण को
हटाना।

28. (1) हरियाणा लोक परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972 (1972 का 24) में दिए गए उपबंध, जहां तक हो सके, पूजास्थल से संबंधित किसी भूमि या परिसर के अप्राधिकृत अधिभोग के संबंध में लागू होंगे, मानो यह उस अधिनियम के अर्थ के भीतर सरकार की संपत्ति थी।

(2) बोर्ड का सदस्य-सचिव, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और उस पर उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करना ऐसे प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

पूजास्थल के संरक्षण
के लिए कार्यवाही
करने की शक्ति।

29. जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि -

(क) पूजास्थल से संबंधित किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा बर्बाद किए जाने, क्षति पहुंचाए जाने या अनुचित रूप से हस्तांतरित किए जाने का खतरा है; या

(ख) ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति को हटाने या उसके निपटान की धमकी देता है, या ऐसा करना चाहता है,

तो बोर्ड का सदस्य-सचिव, ऐसी संपत्ति को बर्बाद करने, क्षति पहुंचाने, हस्तांतरित करने, विक्रय, हटाने या निपटान करने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन के लिए विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

पूजास्थल का बजट।

30. (1) बोर्ड का सदस्य-सचिव, प्रतिवर्ष दिसम्बर की समाप्ति से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में पूजास्थल के आगामी वित्त वर्ष के दौरान संभावित प्राप्तियां तथा संवितरणों को दर्शाते हुए बजट प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त उपबंध होंगे-

(क) उस समय लागू व्यय तथा रुढ़िगत व्यय के पैमाने;

(ख) पूजास्थल पर बाध्यकारी सभी दायित्वों के सम्यक् निर्वहन;

(ग) धार्मिक, शैक्षणिक तथा धर्मार्थ प्रयोजनों पर व्यय, जो पूजास्थल के उद्देश्यों से असंगत न हो;

(घ) पूजास्थल के सिद्धांतों के अनुसार धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा उसके प्रसार;

(ड.) पूजास्थल के भवनों की मरम्मत तथा उनके नवीकरण और उसकी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण पर व्यय।

(3) बोर्ड, बजट की प्राप्ति पर, उसमें ऐसे परिवर्तन, लोप अथवा परिवर्धन, जो वह उचित समझे, कर सकता है।

(4) तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा किसी रिवाज, प्रथा अथवा परिपाटी में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी पदधारी के पारिश्रमिक अथवा पूजास्थल के संबंध में किसी अन्य मद के व्यय के लिए उपबन्ध किए गए हैं, तो बोर्ड द्वारा ऐसे पारिश्रमिक अथवा व्यय बढ़ाए, घटाए अथवा उपांतरित किए जा सकते हैं, यदि पूजास्थल की वित्तीय स्थिति और हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी वृद्धि, घटाव अथवा उपांतरण करना आवश्यक समझा जाता है।

31. (1) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों के नियमित लेखों को अनुरक्षित रखेगा। ऐसे लेखे प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में पृथक् रूप से रखे जाएंगे तथा उनमें ऐसे ब्योरे समाविष्ट होंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) पूजास्थल के लेखों की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षा की जाएगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अर्थ के भीतर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा करने वाले प्रत्येक लेखा-परीक्षक की बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में अथवा नियंत्रणाधीन लेखों तथा सभी बहियों, वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा अभिलेखों तक पहुंच होगी।

32. यदि पूजास्थल के प्रशासन से सम्बन्धित कोई पुजारी, अधिकारी, कर्मचारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति- शास्ति।

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या इसके अधीन जारी किए गए आदेशों तथा निदेशों के उपबंधों की अनुपालना करने से इन्कार करता है अथवा जानबूझकर अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई किसी कार्यवाही में बाधा डालता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन मांगी गई किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखों या अन्य जानकारी देने से इन्कार करता है अथवा जानबूझकर देने में असफल रहता है,

तो बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, पुजारी, अधिकारी, कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत कर सकता है तथा वह कारावास की ऐसी अवधि, जो छह मास तक की हो सकेगी तथा ऐसे जुर्माने, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

33. कोई भी व्यक्ति जो-

पूजास्थल से संबंधित संपत्ति के सदोष विधारण के लिए शास्ति।

(क) पूजास्थल से संबंधित किसी ऐसी संपत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों का कब्जा, अभिरक्षा अथवा नियंत्रण रखते हुए, जिसका प्रबन्धन तथा नियंत्रण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित किया गया है, बोर्ड अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार अथवा बोर्ड द्वारा उसका निरीक्षण करने या उसकी मांग करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, से ऐसी संपत्ति अथवा दस्तावेज अथवा लेखा बहियों का सदोष विधारण करता है;

(ख) बोर्ड की किसी संपत्ति, दस्तावेजों अथवा लेखा बहियों का सदोष कब्जा लेता है, अथवा उन्हें रखता है अथवा उन्हें बोर्ड अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से जानबूझकर विधारित करता है अथवा प्रस्तुत करने अथवा देने में असफल रहता है; या

(ग) पूजास्थल की किसी संपत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों को गलत ढंग से हटाता है, नष्ट करता है, या विकृत करता है,

तो कारावास की ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

34. (1) सरकार का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में किसी सिविल अथवा दांडिक कार्यवाहियों के लिए दायी नहीं होगा, यदि कार्य सदभावपूर्वक और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन अथवा कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में किया गया है।

(2) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के फलस्वरूप हुए या होने की संभावना वाले किसी नुकसान अथवा हुई या होने की संभावना वाली किसी क्षति अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

निदेश देने की शक्ति।

35. सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड को लिखित में ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश दे सकती है और ऐसा करते समय, बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश को विखंडित, परिवर्तित अथवा उपांतरित कर सकती है और बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनका अनुसरण करेगा।

सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।

36. सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा इस अधिनियम के अधीन किए गए बोर्ड के निर्णय या आदेश से स्वयं को व्यथित समझने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकती है तथा उस पर ऐसा आदेश कर सकती है, जो वह ठीक समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, सरकार, ऐसे व्यक्ति, जिसकी ऐसे आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

37. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनुसंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को, इसके जारी करने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

अधिकारिता का वर्जन।

38. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विवाद या मामले को ग्रहण करने या न्याय-निर्णयन करने की कोई भी अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाना है और जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी का निर्णय अथवा आदेश अंतिम तथा निश्चयक हो।

नियम बनाने की शक्ति।

39. (1) सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकती है-

(क) धारा 13 और 19 के अधीन पूजास्थल के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें;

(ख) धारा 19 के अधीन अधिकरण का गठन;

- (ग) प्राधिकारी, जिसे तथा रीति, जिसमें धारा 21 के अधीन अपील की जानी है;
- (घ) प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन रजिस्टर अनुरक्षित किए जाने हैं;
- (ङ.) धारा 24 के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टियों की संवीक्षा;
- (च) रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन जांच की जानी है;
- (छ) प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 30 के अधीन बजट तैयार किया जाना है तथा प्राधिकारी, जिसको प्रस्तुत किया जाना है;
- (ज) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणों, विवरणियों के प्ररूप तथा अन्य प्ररूप तथा रीति, जिसमें ये अनुरक्षित किए जाने हैं;
- (झ) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, लेखे या अन्य सूचना;
- (ण) पूजास्थल की संपत्तियों और भवनों का परिरक्षण, रख-रखाव, प्रबन्धन तथा सुधार;
- (ट) पूजास्थल में मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का परिरक्षण; तथा
- (ठ) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

40. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, किसी अन्य विधि के उपबंध, जो पूजास्थल पर लागू हो सकते हैं, वे उस पर लागू नहीं रहेंगे:

पूजास्थल को कतिपय अधिनियमितियों का लागू नहीं होना।

परन्तु ऐसी समाप्ति किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी-

- (क) पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व;
- (ख) ऐसे अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी उपचार के लिए संस्थित की गई कोई विधिक कार्यवाही; या
- (ग) सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जिला पानीपत के समालखा में ग्राम चुलकाना के राजस्व सम्पदा में स्थित श्री श्याम बाबा मन्दिर (धाम) एक प्राचीन ऐतिहासिक मन्दिर है, जो हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों के लिए अत्यन्त पवित्र एवं आस्था का प्रमुख केन्द्र है। श्रद्धालु यहाँ देवता के दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। उक्त धाम श्री खाटु श्याम जी (प्राचीन ऐतिहासिक महाभारत में श्री बर्बरीक) के मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हिन्दू परम्पराओं के अनुसार कलियुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है।

बाबा श्री खाटु श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल तथा तीर्थ-मंदिर से संलग्न या आनुषंगिक भूमियों एवं भवनों सहित उसके दान का बेहतर प्रबन्धन करने, प्रशासन तथा शासन उपलब्ध कराने तथा दर्शन करने वाले भक्तों को बेहतर सुख-सुविधाएं व सहूलियतें एवं शिष्यों, तीर्थयात्रियों व उपासकों का स्वास्थ्य सुरक्षित करने, सुरक्षा एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा बाबा श्री खाटु श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक, 2026 अधिनियमित करने का निर्णय किया गया है। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 39 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन है।